छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/ 3211 /पुनर्गणना प्रकोष्ट/2019 रायपुर दिनांक 22/04/19

छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 119 उपविनियम (1) (2) तथा (3) एवं विनियम 148 के उपविनियम (1)(2) तथा (3) के अंतर्गत मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/ पुनर्मूल्यांकन के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है जो छ.ग.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 अप्रेल 2013 को प्रकाशित किया गया है।

"1.परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना (अंकों का सत्यापन)/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु इस तीनों प्रकिया के लिए अथवा किन्हीं दो प्रकिया के लिए अथवा किन्हीं एक प्रकिया के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित फीस के आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है। उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा।

3. पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी। ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी अपने उत्तर/उत्तरों की पुनः जांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों जिन्हें मण्डल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा। अभ्यर्थी के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे मण्डल की वेबसाईट पर एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जायेगी।"

पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया

मण्डल विनियम के प्रावधान एवं समय-समय पर मण्डल की समितियों द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुनर्गणना/ उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1. पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रू.100/-, उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन हेतु प्रति विषय रू. 500/-एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रू. 500/-शुल्क निर्धारित है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक या दो या तीनों प्रकिया हेतु आवेदन कर सकता है, आवेदन करने के लिये निर्धारित प्रारूप समन्वय संस्था, मण्डल मुख्यालय, संभागीय कार्यालय तथा मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है, जिसे भरकर निर्धारित शुल्क के साथ अग्रेषण संस्था में जमा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मण्डल की वेबसाईट पर स्वयं आनलाईन आवेदन भी कर सकता है।

2. जिला- बीजापुर, जगदलपुर, दन्तेवाडा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा एवं बलरामपुर, तथा जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड मानपुर एवं मोहला (आदिवासी बहुल/नक्सली क्षेत्र) के अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क का 50% छूट का प्रावधान है। यह ध्यान रहे कि यह छूट केवल पुनर्मूल्यांकन के लिए है, पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन के लिये यह छूट नहीं दी जायेगी।

3. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा, परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर ही किसी एक/दोनो/तीनो प्रक्रिया हेतु एक ही साथ आवेदन करना होगा।

4. उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति के लिये आवेदन करने वाले छात्रों को उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति मण्डल द्वारा प्रेषित की जाती है। सामान्यतः उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त होने तक पुनर्मूल्यांकन हेतु किये जाने वाले आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है। अतः अभ्यर्थी को मूल्यांकन हेतु परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही आवेदन करना होगा। उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन करने के उपरांत पृथक से पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई समय नहीं दिया जायेगा और न ही किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा, जिसका प्रावधान विनियम 119 एवं 148 में भी स्पष्ट अंकित है।

5. पुनर्मूल्यांकन प्रकिया के अंतर्गत उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन दो मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा कराया जायेगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंकों के औसत पूर्व में प्राप्त अंकों से 10 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि होने पर ही, अंकों में वृध्दि मान्य की जायेगी। पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाये नहीं जायेंगें अर्थात् पूर्व के अंक यथावत् रहेंगें।

6. पुनर्गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थियों के अंकों में कमी एवं वृध्दि दोनों मान्य की जावेगी, अर्थात एक अंक की भी कमी/वृध्दि मान्य की जायेगी।

7. पूरक/अनुत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है, और परीक्षाफल में कोई परिर्वतन नही होता है, तो अंक वृद्धि मान्य नहीं की जावेगी अर्थात् ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन अंकसूची प्रदाय नही की जावेगीं।

8. पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु जमा की गई शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी।

9. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत अंकों में कमी/वृध्दि मान्य किये जाने पर संशोधित अंकसूची जारी की जायेगी। मण्डल द्वारा संशोधित अंक सूची नियमित अभ्यर्थी की स्थिति में संबंधित शाला को तथा स्वाध्यायी अभ्यर्थी की स्थिति में अग्रेषण संस्था को प्रेषित की जायेगी। अभ्यर्थी संबंधित संस्था में पुरानी अंकसूची जमा कर संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित अंकसूची प्राप्त कर सकेगा।

18/4/11

(प्रोफेसर व्ही0के0 गोयल)

सचिव
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

आवेदन–पत्र

पुनर्गणना / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन / पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र

(Application Form for Retotlling/Observation of Answer Copy/Revaluation)

(Board Regulation 119.148)

हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी / डी.एल.एड.परीक्षा वर्ष 20......

2. अनुक्रमांक (Roll No) [ ] 2. छात्र का नाम ....

3. परीक्षा का नाम .... 4. मुख्य / पूरक ....

5. केन्द्र क्रमांक .... 6. केन्द्र का नाम ....

8. संस्था का नाम ....

मैं मण्डल के स्थापित नियमों के तहत अपने निम्नांकित विषय / विषयों की उत्तरपुस्तिका का पुनर्गणना / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति / पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करना चाहता / चाहती हूँ जो निम्नानुसार है :–

क्र.	विषय	प्राप्तांक	पुनर्गणना रू. 100/– प्रति विषय	उ.पु. की छायाप्रति रू. 500/– प्रति विषय	पुनर्मूल्यांकन रू. 500/– प्रति विषय	शुल्क विवरण कुल शुल्क
01			रू.	रू.	रू.	
02			रू.	रू.	रू.	
03			रू.	रू.	रू.	
04			रू.	रू.	रू.	
05			रू.	रू.	रू.	
06			रू.	रू.	रू.	
संबंधित कॉलम में शुल्क की राशि अंकित करें।				**कुल राशि अंकों में**		रू.
				शब्दों में :–		

क्या आप :– (JEE) 2019 IIITS, NITS की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहें है ? हाँ / नही [ ]

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम..

पिता / पालक का नाम..

गली / मोहल्ला..

ग्राम.......................... पोस्ट..........................

विकासखण्ड.......................... जिला..........................(छ.ग.)

मोबाईल नं. [ ]

ईमेल आईडी :– [ ]

पिन कोड :– ....

नोट :– मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी अनिवार्य रुप से अंकित करें।

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा – पत्र

मैं .... घोषणा करता / करती हूं कि मैंने उपरोक्तानुसार विषय / विषयों में पुनर्गणना / उ.पु. की छायाप्रति / पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। पुनर्गणना उपरांत अंकों में कमी / वृद्धि जो भी हो मुझे स्वीकार होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोकन करें)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / /पुनर्गणना प्रकोष्ट/2019 रायपुर दिनांक........................

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 119 उपविनियम (1) (2) तथा (3) एवं विनियम 148 के उपविनियम (1)(2) तथा (3) के अंतर्गत मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है जो छ.ग.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 अप्रेल 2013 को प्रकाशित किया गया है।

"1.परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना (अंकों का सत्यापन)/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु इस तीनों प्रकिया के लिए अथवा किन्हीं दो प्रकिया के लिए अथवा किन्हीं एक प्रकिया के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित फीस के आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है। उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा।

3. पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी। ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी अपने उत्तर/उत्तरों की पुनः जांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों जिन्हें मण्डल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा। अभ्यर्थी के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे मण्डल की वेबसाईट पर एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जायेगी।"

पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया

मण्डल विनियम के प्रावधान एवं समय-समय पर मण्डल की समितियों द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1. पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रू.100/-, उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन हेतु प्रति विषय रू. 500/-एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रू. 500/-शुल्क निर्धारित है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक या दो या तीनों प्रकिया हेतु आवेदन कर सकता है, आवेदन करने के लिये निर्धारित प्रारूप समन्वय संस्था, मण्डल मुख्यालय, संभागीय कार्यालय तथा मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है, जिसे भरकर निर्धारित शुल्क के साथ अग्रेषण संस्था में जमा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मण्डल की वेबसाईट पर स्वयं आनलाईन आवेदन भी कर सकता है।
2. जिला बीजापुर जगदलपुर, दन्तेवाडा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा एवं बलरामपुर, तथा जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड मानपुर एवं मोहला (आदिवासी बहुल/नक्सली क्षेत्र) के अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क का 50% छूट का प्रावधान है। यह ध्यान रहे कि यह छूट केवल पुनर्मूल्यांकन के लिए है, पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन के लिये यह छूट नहीं दी जायेगी।
3. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए पृथक से 15 दिवस का समय नही दिया जावेगा, परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर ही किसी एक/दोनो/तीनो प्रक्रिया हेतु एक ही साथ आवेदन करना होगा।
4. उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति के लिये आवेदन करने वाले छात्रों को उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति मण्डल द्वारा प्रेषित की जाती है। सामान्यतः उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त होने तक पुनर्मूल्यांकन हेतु किये जाने वाले आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है। अतः अभ्यर्थी को मूल्यांकन हेतु परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही आवेदन करना होगा। उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन करने के उपरांत पृथक से पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई समय नहीं दिया जायेगा और न ही किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा, जिसका प्रावधान विनियम 119 एवं 148 में भी स्पष्ट अंकित है।
5. पुनर्मूल्यांकन प्रकिया के अंतर्गत उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन दो मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा कराया जायेगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंकों के औसत पूर्व में प्राप्त अंकों से 10 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि होने पर ही, अंकों में वृध्दि मान्य की जायेगी। पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाये नहीं जायेंगें अर्थात् पूर्व के अंक यथावत् रहेंगें।
6. पुनर्गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थियों के अंकों में कमी एवं वृध्दि दोनों मान्य की जावेगी, अर्थात एक अंक की भी कमी/वृध्दि मान्य की जायेगी।
7. पूरक/अनुत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है, और परीक्षाफल में कोई परिवर्तन नही होता है, तो अंक वृद्धि मान्य नहीं की जावेगी अर्थात् ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन अंकसूची प्रदाय नही की जावेगी।
8. पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु जमा की गई शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी।
9. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत अंकों में कमी/वृध्दि मान्य किये जाने पर संशोधित अंकसूची जारी की जायेगी मण्डल द्वारा संशोधित अंक सूची नियमित अभ्यर्थी की स्थिति में संबंधित शाला को तथा स्वाध्यायी अभ्यर्थी की स्थिति में अग्रेषण संस्था को प्रेषित की जायेगी। अभ्यर्थी संबंधित संस्था में पुरानी अंकसूची जमा कर संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित अंकसूची प्राप्त कर सकेगा।

(प्रोफेसर व्ही0के0 गोयल)
सचिव
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर